अधिप्रमाणित

ICM
INDIA CENTRE FOR MIGRATION

वार्षिक रिपोर्ट

2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16

भारत प्रवास केन्द्र
विदेश मंत्रालय की एक पंजीकृत सोसायटी
नई दिल्ली

विषयवस्तु तालिका

क्रमांक	विषयवस्तु	पृष्ठ संख्या
1	भारत प्रवास केन्द्र के बारे में	3-4
2	सहयोग ज्ञापन	4
3	कार्य	5
4	उद्देश्य	6
5	विशेषज्ञता के क्षेत्र	7
	निम्न वर्षों की गतिविधियां : 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	 8-12 13-17 18-22 23-25 26-35
6	**फोटो में आईसीएम की गतिविधियां**	36-38
7	लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16	39-43

भारत प्रवास केन्द्र के बारे में

भारत प्रवास केन्द्र (आईसीएम) अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित सभी मामलों पर विदेश मंत्रालय (एमईए) का अनुसंधान थिंक टैंक है। आईसीएम की स्थापना तत्कालीन प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी जिसका विलय फरवरी, 2016 से विदेश मंत्रालय में कर दिया गया है।

यह अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक और नीति संबंधी अनुसंधान करता है और रोजगार हेतु विदेश में प्रवास करने वाले भारतीय कामगारों पर विशेष फोकस करते हुए दस्तावेजी श्रेष्ठ रीतियों से प्रायोगिक परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। अपनी अनुसंधान कार्यसूची को चलाने के लिए यह केन्द्र व्यक्तियों और संस्थानों के साथ साझेदारी भी करता है।

वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 हेतु आईसीएम के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2016 में की गई है। इसलिए पहले इन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकीं। मौजूदा रिपोर्ट एक समेकित रिपोर्ट है जिसमें वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट शामिल हैं।

दृष्टिकोण

सूचित नीति निर्माण में सहायता करने और भारत से लोगों के अंतर्राष्ट्रीय आवागमन की सुसंगत और सामंजस्य प्रतिक्रिया हेतु रणनीतिक हस्तक्षेपों को सक्षम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर मुख्य अनुसंधान और विश्लेषण।

ढांचा

पूर्णरूप से शासन हेतु आईसीएम का दो स्तरीय तंत्र है अर्थात शासी परिषद् और कार्यकारी निदेशालय। शासी परिषद् की अध्यक्षता सचिव (सीपीवी एवं ओआईए) एमईए, (प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) के विदेश मंत्रालय में विलय के बाद सचिव (सीपीवी एवं ओआईए), द्वारा की जाती है और इसमें आर्थिक कार्य विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव सदस्य के रूप में शामिल हैं। पदेन सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में उत्प्रवासी भेजने वाले राज्यों में से प्रत्येक

दो वर्षों में चक्रानुक्रम के आधार पर शासी परिषद के सदस्यों के रूप में राज्य सरकारों के तीन सचिवों को नामित किया जाता है। सरकार द्वारा नामित किए गए चार विशेषज्ञ भी शासी परिषद् के सदस्य हैं। कार्यकारी निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी शासी परिषद के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते है।

यद्यपि शासी परिषद कार्यक्रमों और गतिविधियों का व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है और लक्ष्यों पर प्रतिवर्ष की गई प्रगति की निगरानी करता है, कार्यकारी निदेशालय (जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईसीएम का स्टाफ शामिल हैं) शासी परिषद् द्वारा स्थापित किए गए लक्ष्यों को कार्यान्वित करने की रणनीतियां विकसित करता है।

आईसीएम के कार्य की निगरानी तीन इन-हाउस समितियों (अनुसंधान, वित्त और प्रशासन) द्वारा भी की जाती है जिसका गठन आईसीएम के संचालन का मार्गदर्शन करने सहायता करने और निगरानी करने के लिए किया गया था। समितियों की सिफारिशों को विचार हेतु शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

सहयोग ज्ञापन

आईसीएम के दैनिक कार्यों को सहयोग ज्ञापन (एमओए) के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाता है। एमओए इस केन्द्र के कार्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा बनाता है। केन्द्र के कार्यों और उद्देश्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है।

कार्य

विदेशी श्रम बाजारों में श्रमिक पूर्ति अंतरालों की पहचान और भारतीय कामगारों द्वारा उन अंतरालों को भरने के लिए कौशलों की पहचान करना

व्यावसायिक निकायों और निजी निकायों के परामर्श से कौशल विकास के कार्यक्रमों और कौशल उन्नयन की ओर योगदान

कामगारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण मैनुअल्स

श्रमिक एवं जनशक्ति के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के साथ समन्वय जिनमें राज्य जनशक्ति विकास निगम, परियोजना जनशक्ति आपूर्तिकर्ता और विदेशी नियोक्ता भी शामिल हैं

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार की प्रवृत्तियों और गतिशीलताओं, भारत और विदेशों में भारतीय उत्प्रवासियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के अध्ययन, निगरानी और विश्लेषण की शुरूआत करना और उसका समर्थन करना, और नीतिगत पहलें/ रणनीतियों की सिफारिश करना

उत्प्रवासी कामगारों की सुरक्षा और कल्याण की सर्वश्रेष्ठ पद्तियों की पहचान करना

उद्देश्य

भारतीयों के विदेशी रोजगार को प्रोत्साहित करने हेतु मध्यकालीन से दीर्घकालीन रणनीतियां ढूंढने और निष्पादित करने के लिए "थिंक टैंक" के रूप में कार्य करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों की प्रवृत्तियों के साथ-साथ श्रमिक भेजने और प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों की रणनीतियों की नियमित रूप से निगरानी करना, अध्ययन करना और विश्लेषण करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों पर अध्ययन करना और भारतीय युवाओं के लिए उभरते विदेशी रोजगार अवसरों की पहचान करना।

संभावित प्रवासी भारतीय कामगारों को नीजी भर्ती उद्योग द्वारा प्रदान की जाने वाली रोजगार सेवाओं के 'उपभोक्ता' के रूप में स्थापित करना।

भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में परियोजित करना।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठनों द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को राज्य/देश और लिंग विशेष के लिए अनुकूल बनाना।

प्रवासी भारतीय कामगारों को कल्याण सहायता।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

सहयोग ज्ञापन में परिकल्पित कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर आईसीएम का फोकस निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना है:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार
- प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण
- कौशल उन्नयन एवं कौशल की पारस्परिक मान्यता
- प्रवास नीति एवं भारत में प्रवास का शासन
- प्रवास प्रबंधन
- प्रवास प्रेषण एवं विकास
- महिला प्रवासी कामगार
- श्रम बाजार एवं भारतीयों के लिए संभावित अवसर
- सूचना प्रसारण एवं जागरूकता अभियान
- विदेश में भारतीयों के सुरक्षित, वैध एवं मानवीय प्रवास से संबंधित सभी मुद्दे

शासी परिषद के संविधान से संबंधित वर्ष वार 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 सूचना, इसकी बैठकें और विचार-विमर्श, संगठन द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियों का वर्णन इस समेकित रिपोर्ट के बाद के खंडो में किया गया है।

2011-12

वर्ष 2011-12 के दौरान इस संगठन को भारतीय विदेशी रोजगार परिषद (आईसीओई) के रूप में जाना जाता था। शासी परिषद के संविधान, इसकी बैठकें और आईसीओई द्वारा चलाई गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2011-12 की शासी परिषद्

अध्यक्ष

सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए)

डॉ. ए. दिदार सिंह

सदस्य :

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग या उनके प्रतिनिधि
2. सचिव, विदेश मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
3. सचिव, सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
4. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
5. उत्प्रवासी भेजने वाले प्रमुख राज्यों में से प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम से राज्य सरकारों के तीन सचिव। वर्ष 2011-12 के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब के मुख्य सचिव शासी परिषद में थे।
6. सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए चार विशेषज्ञों को नामित किया जाता था। वर्ष 2011-12 के दौरान श्री एस ईरूदया राजन, श्री पी मोहम्मद अली, श्री एम. जी. पुष्पाकरण और श्री टी. पी. श्रीनिवासन शासी परिषद में थे।
7. कार्यकारी निदेशक जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान श्री जी. गुरूचरण, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे।

वर्ष 2011-12 के दौरान शासी परिषद् की बैठकें

आईसीओई की शासी परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन 10 अक्तूबर, 2011 को किया गया था। शासी परिषद् ने निम्नलिखित के संबंध में विचार-विमर्श किया:

- संगठन का नाम बदलकर भारत प्रवास केन्द्र करने का निर्णय।
- चयनित ईयू देशों में श्रम बाजार आकलन जिनमें स्वीडन, डेनमार्क, चेक गणराज्य, पोलेंड, रोमानिया और फ्रांस शामिल हैं।
- भारत ईयू अनुसंधान परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया।
- कौशल प्रशिक्षण, मानकों, प्रमाणीकरण और समन्वय से संबंधित मामलों में अपने समकक्ष संस्थानों के साथ द्विपक्षीय आधार पर नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करने के प्रस्ताव पर विचार किया।

वर्ष 2011-12 के दौरान आईसीएम द्वारा की गई गतिविधियां

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संभावित प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल

वर्ष 2011-12 में भारतीय विदेशी रोजगार परिषद (आईसीओई) ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संभावित प्रवासियों के लिए कौशल से संबंधित कौशल विकास पहल नामक एक प्रायोगिक परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजना का कार्यान्वयन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) और दो ज्ञान साझेदारों- इंडिया स्किल एवं एस्पायर के साथ समन्वय के माध्यम से किया जाना था। इस परियोजना का कार्यान्वयन दो मॉड्यूलों- संस्थागत फ्रैंचाईज मॉडल और संस्थागत एम्बेडेड मॉडल के माध्यम से किए जाने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य इन दो मॉडलों के माध्यम से निम्नलिखित को प्राप्त करना था।

संस्थागत मॉडल –

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक योग्यता (आईवीक्यू) तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण वाला मानक प्रशिक्षण और परीक्षण सुविधाओं का नेटवर्क लाना।

- प्रशिक्षण संपर्क और नौकरी देने वाले संपर्क हेतु कौशल प्रशिक्षण स्त्रोत केन्द्र स्थापित करना।
- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के हाशिये पर रखे गए 8,000 से अधिक कम और मध्यम कौशल वाले युवा और महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना ताकि उन्हें विदेशी रोजगार प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जा सके।
- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करना जिसे राज्य सरकारों की सहायता से अन्य कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं में दोहराया जा सके ताकि इस प्रायोगिक परियोजना को सफल बनाया जा सके।

एम्बेडेड ज्ञान मॉडल –

- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की 2,000 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करना।
- मॉडल के अखिल भारतीय रोल आउट हेतु एक टेम्पलेट तैयार करना।

वर्ष 2011-12 के दौरान परियोजना के कार्यान्वयन में की गई प्रगति निम्नानुसार है:

- 19-20 अगस्त, 2011 को गुवहाटी में आठ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों सहित सभी दावा धारकों की राज्य परामर्श बैठक का आयोजन किया गया।
- गुवहाटी, असम में कौशल प्रशिक्षण प्रमाणीकरण स्त्रोत केन्द्र (एसटीसीआरसी) की स्थापना की गई।
- क्रमश: सिटी एंड गिल्ड्स और एडएक्सल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र और हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए आईवीक्यू डिजाइन किए गए।
- प्रमाणीकरण साझेदारों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार संस्थानों और प्रशिक्षुओं की पहचान की प्रक्रिया शुरू की।

भारत – ईयू प्रवास संबंधी नीति निर्माण के लिए ज्ञान आधार विकसित करना

वर्ष 2011 में आईसीओई ने भारत-ईयू प्रवास परियोजना संबंधी नीति निर्माण हेतु ज्ञान आधार विकसित करने संबंधी कार्यान्वित कार्य करने के लिए यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान (ईयूआई) के साथ एक सहयोग पर हस्ताक्षर किए।

वर्ष 2011-12 के दौरान निम्नलिखित प्रगति की गई:

- परियोजना टीम नियुक्त की गई और अगस्त, 2011 में परियोजना का कार्यान्वयन कार्य शुरू किया गया।
- आईसीओई परियोजना टीम ईयूआई (मुख्य साझेदार) के साथ-साथ अन्य परियोजना साझेदारों अर्थात् मास्ट्रिच विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलौर (आईआईएमबी) के साथ परियोजना के तीन मुख्य घटकों अर्थात् आउटरीच एवं जागरूकता सृजन, साक्ष्य आधारित अनुसंधान और डाटाबेस विकसित करना के बारे में एक संयुक्त कार्यान्वयन का निर्माण किया।
- नवम्बर, 2011 में प्रगति की समीक्षा करने, संपर्क में सम्बद्धता सुनिश्चित करने और परियोजना संबंधी आगे के तरीकों की योजना बनाने के लिए सभी साझेदारों की एक बैठक का आयोजन किया।
- इसके बाद नवम्बर, 2011 में दावा धारकों की परामर्श कार्यशाला हुई जिसका आयोजन आईसीओई द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। इस कार्यशाला में भारत में ईयू राज्यों के सदस्य, भारत सरकार, राज्य सरकार, अकादमिक संस्थानों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ उपस्थित थे।
- आईसीओई ने 9 अनुसंधान दस्तावेजों के अनुसंधान आउटपुट उत्पन्न करने और उनके शीर्षक को अंतिम रूप देने; 6 दस्तावेजों संबंधी लेखकों की पहचान और कार्य की शुरूआत करने हेतु प्रक्रिया की शुरूआत की।

भारत से खाड़ी देशों में जाने वाली महिला प्रवासी कामगारों का सशक्तिकरण

वर्ष 2011-12, में आईसीओई ने महिला प्रवासी कामगारों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर केंद्रित करते हुए एक परियोजना दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया जिसमें उनके सशक्तिकरण हेतु कार्यों की एक ठोस योजना है। प्रस्तावित संपर्क पर बातचीत करने के लिए शुरूआती कार्यशाला का आयोजन करने और परियोजना के कार्यान्वयन कार्य को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।

खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी कामगारों और भारत में अप्रवासी कामगारों के बीच मजदूरी का अंतर

आईसीओई ने वर्ष 2011-12 में खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी कामगारों और भारत में अप्रवासी कामगारों के बीच के मजदूरी के अंतर पर एक अध्ययन कराया। इस अध्ययन का प्रयोजन खाड़ी देशों में प्रवास करने वाले कामगारों और भारत या भारतीय शहरों के भीतर इसी प्रकार की व्यवसायों में कार्यरत कामगारों के बीच मजदूरी के अंतर का आकलन करना और उनके कल्याण और रहने के मानकों की तुलना करना था।

प्रवास प्रबंधन हेतु क्षमताओं को बढ़ाना

वर्ष 2011-12 में आईसीओई में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन के सहयोग से प्रवास प्रबंधन हेतु क्षमताओं का निर्माण करने की संकल्पना नोट पर कार्य करना शुरू किया। संकल्पना नोट में प्रवास प्रबंधन के तीन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की गई थी जिन्हें भारतीय संदर्भ में और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है वे हैं- साक्ष्य आधारित अनुसंधान और ज्ञान निर्माण; प्रवास साझेदारियां, वक्तव्य और सुसंगत नीति- बनाना और; संस्थागत और तकनीकी क्षमता निर्माण।

2012-13

वर्ष 2012-13 के दौरान इस संगठन को भारत प्रवास केन्द्र (आईसीएम) के रूप में जाना जाता था। शासी परिषद के संविधान, इसकी बैठकें और आईसीएम द्वारा चलाई गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2012-13 की शासी परिषद्

अध्यक्ष

सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए)

श्री राजीव महर्षि

सदस्य :

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग या उनके प्रतिनिधि
2. सचिव, विदेश मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
3. सचिव, सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
4. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
5. उत्प्रवासी भेजने वाले प्रमुख राज्यों में से प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम से राज्य सरकारों के तीन सचिव। वर्ष 2012-13 के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब राज्यों के मुख्य सचिव, या उनके प्रतिनिधि शासी परिषद में थे।
6. सरकार द्वारा हर दो वर्ष की अवधि के लिए चार विशेषज्ञों को नामित किया जाता था। वर्ष 2012-13 के दौरान श्री एस ईरूदया राजन, श्री पी मोहम्मद अली, श्री एम. जी. पुष्पाकरण और श्री टी. पी. श्रीनिवासन शासी परिषद में थे।
7. कार्यकारी निदेशक जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान श्री टी. के. मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे।

वर्ष 2012-13 के दौरान शासी परिषद् की बैठकें

आईसीएम की शासी परिषद् ने अपनी बैठक के लिए 4 अक्तूबर, 2012 को मुलाकात की। चौथी बैठक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- सभा करने और भारत-ईयू । परियोजना के अंतर्गत एकत्रित किए गए डाटा का विश्लेषण और आदान-प्रदान करने के प्रोटोकॉल पर विचार किया।
- भारत से व्यवस्थित प्रवास सुकर बनाने हेतु ईयू सदस्य राज्यों के वीजा व्यवस्था के अध्ययन की सिफारिश की।
- कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर से प्रशिक्षित युवाओं के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी हेतु; राज्य सरकार द्वारा चालित विदेशी प्लेसमेंट एजेंसियों को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया।
- हेल्थकेयर में प्रशिक्षण हेतु सिमुलेशन मॉडल पर विचार किया गया।
- प्रेषणों को भेजने की लागत को घटाने के संबंध में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का परिक्षण करने की सिफारिश की गई।
- श्रम बाजार आकलन – चरण ।। के अंतर्गत ईयू ब्लू कार्ड के प्रभाव की जांच करने की सिफारिश की।

वर्ष 2012-13 के दौरान आईसीएम द्वारा की गई गतिविधियां

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संभावित प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संभावित उत्प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल जिसकी परिकल्पना प्रायोगिक परियोजना के रूप में की गई थी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन की साझेदारी में आठ पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार विशेषत: हॉस्पीटेलिटी और हेल्थ केयर के उच्च मांग वाले क्षेत्रों में संभावित विदेशी भारतीय प्रवासियों की नौकरी की तत्परता और नियोजकता को बढ़ाना था।

परियोजना का उद्देश्य कौशल उन्नयन, आकलन, प्रत्यायन और प्रमाणीकरण के लिए मानकों और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त ढांचे को विकसित करना था।

परियोजना के साझेदारों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) शामिल हैं जिन्होंने भारत प्रवास केन्द्र और ज्ञान साझेदारों – इंडिया स्किल एंड एस्पायर मार्गदर्शन के अंतर्गत इस परियोजना का कार्यान्वयन किया। बदले में इंडिया स्किल ने अपने प्रमाणीकरण साझेदार के रूप में सिटी एंड गिल्ड्स की पहचान की है और एस्पायर ने अपने प्रमाणीकरण साझेदार के रूप में एडएक्सल की पहचान की है।

वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित संचित प्रगति की गई है:

- पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से गुवहाटी में 200 युवाओं का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है। वर्ष 2012-13 तक इस परियोजना के अंतर्गत कुल 1000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 32 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- सात अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक योग्यताओं को विकसित करने के लिए पहचाना गया- हाउसकीपिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थ, फ्रंट ऑफिस, पाक कला, नर्सिय सहायता, वृद्धाश्रम देखभाल और अंग्रेजी शिक्षक प्रशिक्षण।

भारत – ईयू प्रवास संबंधी नीति निर्माण के लिए ज्ञान आधार विकसित करना

'भारत-ईयू प्रवास संबंधी नीति निर्माण हेतु ज्ञान आधार विकसित करना' परियोजना को यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान (ईयूआई), फ्लोरेंस की साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा था जिसका उद्देश्य प्रवास से संबंधित सभी पहलूओं को शामिल करते हुए ईयू और भारत के बीच प्रवास संबंधी सार्थक वक्तव्य का समेकन करना था। इस परियोजना को यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा सह-वित्तपोषित किया गया। इस परियोजना में, प्रवास से संबंधित प्रमुख विषयों (जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, विधि, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र) को भारत में प्रवास अध्ययन करवाने और भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों और यूरोपीय संघ तथा इसके सदस्य राज्यों, अकादमियों और सिविल सोसायटी को उप राष्ट्रीय स्तर पर साक्ष्य आधारित नीति उन्मुख अनुसंधान, क्षमता निर्माण और आउटरीच कार्यक्रम प्रदान करने के विचार से उच्च स्तरीय भारत-ईयू विशेषज्ञों को एकत्रित करने की मांग की गई।

परियोजना के मुख्य साझेदारों में यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान (ईयूआई), फ्लोरेंस, इटली शामिल थे और मॉस्ट्रिच विश्वविद्यालय (विधि संकाय), नीदरलैंड, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलौर और भारत प्रवास केन्द्र भी इस परियोजना के साझेदारों में शामिल थे।

वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित प्रगति की गई:

- दो वर्षीय परियोजना की शुरूआत वर्ष 2011 में की गई और वर्ष 2012-13 के अंत तक चली। परियोजना के अंतर्गत आईसीएम द्वारा शुरू और समन्वित किए गए 10 अनुसंधान दस्तावेज पूरे किए जा चुके हैं।
- आईसीएम द्वारा 5-6 सितम्बर, 2012 को 'सुरक्षित और वैध प्रवास सुगम बनाना और अनियमित प्रवास को रोकना' से संबंधित और 13 दिसम्बर, 2012 को 'महिलाएं और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास: अवसर एवं चुनौतियां' से संबंधित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया।

दलित और विदेश में प्रवास

प्रवास पर अनुसंधान के व्यापक विश्व में, महिलाओं और अनियमित प्रवासियों संबंधी कार्य की तुलना में दलितों के बारे में संवेदनशील समूह के रूप में बहुत ही कम अध्ययन किया गया है। यद्यपि, दलितों और प्रवास संबंधी कुछ शुरूआती अनुसंधान हुए हैं लेकिन इन प्रवासियों के संबंध में अपेक्षित गुणात्मक और मात्रात्मक डाटा उपलब्ध नहीं है। दलितों को प्रवास करने का चयन करने में सक्षम बनाने हेतु नीति बनाने के लिए सरकार की ओर से किए गए किसी भी प्रयास में, उनकी संख्या पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान, ऐसे कारण जो उन्हें नए अवसर ढूढंने की प्रेरणा दें, प्रवास में सामना की जाने वाली चुनौतियां और उनके इस चयन का स्वयं उन पर एवं उनके परिवारों के दैनिक जीवन पर पड़ने वाले पूर्ण प्रभाव से, मजबूती देने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए, मार्च-अप्रैल, 2013 में आईसीएम ने विदेश में दलित प्रवास से संबंधित मुद्दों की खोज करने के लिए स्थानीय और विदेश दोनों में अध्ययन करने संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव की आवश्यकता जताई।

भारत-ईयू प्रवास और साझेदारी में साक्ष्य आधारित बंधन और संचालन विकसित करना (डीईएमओ : इंडिया-ईयू एमएपी)

डीईएमओ का पूर्ण उद्देश्य साक्ष्य आधारित अनुसंधान, नीतिगत विश्लेषण और मुल्याकंन करना तथा नीति निर्माण और प्रवास प्रबंधन हेतु शासकीय ढांचे को मजबूत बनाना था। इस संबंध में परियोजना के कुछ विशेष उद्देश्यों में शामिल हैं:

- गतिशीलता / प्रवास के पूर्ण चक्र जिसमें मुख्य चरण अर्थात् भर्ती पूर्व, भर्ती और मूल देश से प्रस्थान; गन्तव्य देश में रहना और कार्य करना; मेजबान देशों में समेकन; और वापसी पर भारत में प्रवासियों और आश्रितों का पुन: समेकन शामिल हैं का निदान करना था।
- ऐसे प्रवास प्रबंधन का प्रदर्शन करना जब केलिब्रेटड और मांग चालित, मूल के देश और गन्तव्य देश के लिए पारिस्परिक रूप से एक समान लाभकारी हो सकता हो।
- प्रवास प्रक्रिया में अच्छी पद्धतियों का संचालन, प्रदर्शन और दस्तावेजीकरण करना और इसे एक बेहतर स्थिति में परिवर्तित करना।
- इस परियोजना को तीन वर्षों की अवधि के लिए परिकल्पित किया गया था जिसके लिए आईसीएम को अगस्त, 2012 में यूरोपीय आयोग से 16,00,000 यूरो (पूरे कार्य की कुल लागत का 80 प्रतिशत) का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

आईसीएम में इंटर्नशिप कार्यक्रम युवाओं और उत्साही व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के क्षेत्र में काम के अवसरों की खोज करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए तैयार करना है। आईसीएम में इंटर्नशिप को आईसीएम का कार्य समझने और उसमें सहायता करने के लिए विदेशों से प्रतिभा को एक साथ लाने और इंटर्न को सीखने के सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

वर्ष 2012-13 में आईसीएम भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के कुछ इंटर्न को निरंतर आकर्षित करता रहा जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलौर और हैदराबाद विश्वविद्याल के इंटर्न शामिल हैं। वर्ष 2012-13 में इंटर्न द्वारा शामिल किए गए विषय निम्नलिखित हैं :

- भारत प्रवास तथ्य पुस्तिका।
- खाड़ी प्रवास और हैदराबाद: हैदराबाद में अरबी कॉलोनी का अध्ययन।
- अनिवासी भारतीय विवाह: महिलाओं की व्यथा और न्याय का आश्रय।
- हेल्थ केयर क्षेत्र में कौशल की पहचान हेतु ईयू ढांचा।

2013-14

वर्ष 2013-14 के दौरान शासी परिषद के गठन, इसकी बैठकें और आईसीएम द्वारा चलाई गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष 2013-14 की शासी परिषद्

अध्यक्ष

सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए)

श्री प्रेम नारायण

सदस्य :

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग या उनके प्रतिनिधि
2. सचिव, विदेश मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
3. सचिव, सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
4. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
5. उत्प्रवासी भेजने वाले प्रमुख राज्यों में से प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम से राज्य सरकारों के तीन सचिव। वर्ष 2013-14 के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब राज्यों के मुख्य सचिव, या उनके प्रतिनिधि शासी परिषद में थे।
6. सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए चार विशेषज्ञों को नामित किया जाता था। वर्ष 2013-14 के दौरान श्री एस ईरूदया राजन, श्री पी मोहम्मद अली, श्री एम. जी. पुष्पाकरण और श्री टी. पी. श्रीनिवासन शासी परिषद में थे।
7. कार्यकारी निदेशक जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2013-14 के दौरान श्री देवी प्रसाद, आर्थिक सलाहकार और संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे।

वर्ष 2013-14 के दौरान शासी परिषद् की बैठकें

वर्ष 2013-14 में आईसीएम की शासी परिषद् शुरू नहीं हुई। हालांकि, आईसीएम 4 अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में शासी परिषद् द्वारा दिए गए निर्देशों को निरंतर कार्यान्वित करता रहा।

वर्ष 2013-14 के दौरान आईसीएम द्वारा की गई गतिविधियां

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संभावित प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल – कौशल संबंधी प्रायोगिक परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के युवाओं और महिलाओं को लाभकारी रोजगार अवसरों से फायदा उठाने के लिए तैयार करना था। वर्ष 2013-14 के दौरान, आईसीएम और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन इस प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन कार्य करते रहे। एक संचालन समिति इस परियोजना की प्रगति की निगरानी कर रही थी।

मार्च, 2014 तक परियोजना द्वारा की गई प्रगति का विवरण नीचे सूचीबद्ध किया गया है :

- मार्च, 2014 तक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के 1133 (कुल) युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- हॉस्पीटेलिटी क्षेत्र में तीन प्रकार की नौकरी की भूमिका हेतु लेवल I में तीन व्यवसायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक योग्यता (आईवीक्यू) विकसित की- फ्रंट ऑफिस, खाद्य एवं पेय पदार्थ और हाउसकीपिंग।

स्वर्ण प्रवास योजना – कौशल विकास संबंधी प्लान स्कीम

आईसीएम ने मंत्रालय की कौशल संबंधी प्लान स्कीम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) का प्रारूप तैयार किया। इस प्लान स्कीम को योजना आयोग का 'सिद्धांत:' अनुमोदन प्राप्त हुआ। प्लान स्कीम को

137 करोड़ रू. की अनुमानित लागत पर दो प्लान अवधियों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया था। जिसमें विदेशी रोजगार हेतु लगभग 5 मिलियन भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई थी।

परियोजना: भारत – ईयू प्रवास संबंधी नीति निर्माण के लिए ज्ञान आधार विकसित करना

इस परियोजना ने यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान, फ्लोरेंस और आईसीएम की सहभागिता में प्रवास से संबंधित सभी पहलूओं पर भारत और ईयू के बीच एक सार्थक वक्तव्य का निर्माण करने और भारत-ईयू प्रवास हेतु नीति निर्माण के लिए साक्ष्य आधार बनाने का प्रयास किया।

मार्च, 2014 के अंत तक इस परियोजना में निम्नलिखित प्रगति हुई :

- 'छात्र गतिशीलता और ज्ञान- आधारित अर्थव्यवस्थाएं : अवसर और चुनौतियां' के संबंध में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सहयोग से 14 जून, 2013 को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया।
- आईसीएम ने 17-18 अक्तूबर, 2013 को 'भारत-ईयू प्रवास एवं गतिशीलता : संभावनाएं और चुनौतियां' शीर्षक परियोजना के अंतिम सम्मेलन का आयोजन भी किया।
- 29 जुलाई, 2013 को पंजाब के दोआब क्षेत्र में जागरूकता अभियान शुरू किया गया।
- इस परियोजना की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, आईसीएम को भारत-ईयू प्रवास साझेदारी के अंतर्गत साक्ष्य आधारित प्रबंधन और संचालन विकसित करने संबंधी (डीईएमओ) परियोजना-।। का काम सौंपा गया, तथा जनवरी, 2014 से दो वर्ष की अवधि के लिए इसका कार्यान्वयन करने की परिकल्पना की गई है।

दुबई में नियोक्ताओं का सम्मेलन (अक्तूबर, 2013)

विदेश में प्रवासी कामगार और भारत में विभिन्न कौशल विकास पहलों से संबंधित मुद्दों पर अक्तूबर, 2013 को दुबई में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नियोक्ताओं के सम्मेलन के लिए इस केन्द्र ने पृष्ठभूमि दस्तावेज तैयार किए। आईसीएम इस सम्मेलन का अकादमिक साझेदार था जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद् (जीसीसी) के सभी देशों के भारतीय राजदूतों, जीसीसी के विदेशी नियोक्ताओं, भर्ती एजेंटों, औद्योगिक निकायों, शिक्षाविदों और यूएन एजेंसियों ने भाग लिया था।

वर्ष 2013-14 के दौरान आईसीएम द्वारा किए गए मुख्य अध्ययन :

- प्रवासी कामगारों के लिए उपलब्ध वाल्यूम, कोस्ट और चेनल पर विशेष फोकस करते हुए जीसीसी क्षेत्र से प्रेषणों की रिपोर्ट।
- मजदूरी के अंतरों की प्रकृति और प्रवासी कामगारों पर इसके प्रभाव को समझने के लिए एक अध्ययन।
- सउदी अरब अधिराज्य में भारतीय कामगारों के मामले में नितिकत के प्रभाव का आकलन।
- विभिन्न सामाजिक सुरक्षा करारों और उनकी सुसंगतता का प्रभाव।

सहयोग

आईसीएम ने प्रवास प्रबंधन संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन और प्रवास स्त्रोत केन्द्रों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ सहयोग किया।

फैलोशिप कार्यक्रम

आईसीएम फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत फैलोशिप प्रदान करता है। ये सहचर आईसीएम के स्थायी कार्मिक नहीं होते और छः महीने से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के लिए ये सहचर विशेष रूप से विशेष विषयों संबंधी अनुसंधान करने में लगे रहते हैं। वर्ष 2012-13 में श्री जी. गुरूचरण को वरिष्ठ फैलोशिप दी गई थी और उन्होंने नवम्बर, 2013 में 'भारत से प्रवास का भविष्य : नीति, रणनीति और सम्बद्धता के तरीके' पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

भारत से प्रवास का भविष्य : नीति, रणनीति और सम्बद्धता के तरीके संबंधी रिपोर्ट प्रवास रीति ढांचे हेतु व्यापक खाका प्रदान करने, और मौजूदा प्रवास नीति एवं रीतियों में व्याप्त कुछ खामियों को दर्शाने का प्रयास करती है, इस प्रकार यह प्रवास प्रक्रिया में सुधार के निर्देशों का सुझाव करती है जिन पर भविष्य में भारत के मामले में विचार करने की आवश्यकता है। यह उत्प्रवास महासंरक्षी के पास उपलब्ध डाटा और साथ ही क्षेत्रीय स्तर के सर्वेक्षणों से एकत्रित किए गए प्राथमिक डाटा के आधार पर भारत से उत्प्रवास प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है और अगले दशक में भारत से प्रवास के भविष्य

हेतु संभावनाओं का पता लगाता है। यह रिपोर्ट चार मुख्य घटकों पर फोकस करते हुए मौजूदा उत्प्रवास प्रबंधन ढांचे की ओर आलोचनात्मक रूप से देखती है : प्रवास नीति, रणनीति, सरकार के भीतर संस्थागत आर्कीट्रेक्चर और सम्बद्धता के तरीके। इनके अलावा यह रिपोर्ट इस बात की सिफारिश करती है कि वर्तमान विनियामक ढांचे को शासकीय ढांचे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जो तीन आधारभूत संस्थानों पर आधारित होगा : (क) भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हेतु स्वायत्त विनियामक, (ख) मानक निर्धारित करने वाला निकाय और (ग) उत्प्रवास संरक्षी कार्यालयों को 'प्रवास स्त्रोत केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाए'।

2014-15

वर्ष 2014-15 के दौरान शासी परिषद के गठन, इसकी बैठकें और आईसीएम द्वारा चलाई गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष 2014-15 की शासी परिषद्

अध्यक्ष

सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए)

श्री प्रेम नारायण

सदस्य :

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग या उनके प्रतिनिधि
2. सचिव, विदेश मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
3. सचिव, सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
4. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
5. उत्प्रवासी भेजने वाले प्रमुख राज्यों में से प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम से राज्य सरकारों के तीन सचिव। वर्ष 2014-15 के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब राज्यों के मुख्य सचिव, या उनके प्रतिनिधि शासी परिषद में थे।
6. सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए चार विशेषज्ञों को नामित किया जाता था। वर्ष 2014-15 के दौरान श्री एस ईरूदया राजन, श्री पी मोहम्मद अली, श्री एम. जी. पुष्पाकरण और श्री टी. पी. श्रीनिवासन शासी परिषद में थे।
7. कार्यकारी निदेशक जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान श्री टी. के मनोज कुमार, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे।

वर्ष 2014-15 के दौरान शासी परिषद् की बैठकें

वर्ष 2014-15 में आईसीएम की शासी परिषद् शुरू नहीं हुई। हालांकि, आईसीएम 4 अक्तूबर, 2012 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में शासी परिषद् द्वारा दिए गए निर्देशों को निरंतर कार्यान्वित करता रहा।

वर्ष 2014-15 के दौरान आईसीएम द्वारा की गई गतिविधियां

वर्ष 2014-15 में आईसीएम ने भारत-ईयू परियोजना-I और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संभावित प्रवासियों हेतु कौशल विकास पहल का कार्यान्वयन कार्य जारी रखा। इन परियोजनाओं के अलावा आईसीएम ने निम्नलिखित मदों संबंधी समयबद्ध रिर्पोटों को तैयार करके मंत्रालय की सहायता की :

- सामाजिक सुरक्षा करारों के प्रभाव का आकलन।
- भारतीय समुदाय कल्याण कोष के कार्यान्वयन हेतु संशोधित रिर्पोटों के इनपुट।
- प्रवासी कामगारों और प्रवासी घरेलू कामगारों के लिए मानक रोजगार संविदा और देश विशेष रोजगार संविदा विकसित करना।
- प्रवासी भारतीय बीमा योजना और महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना का अध्ययन - और संशोधन की सिफारिशें।
- प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा और रोजगार संविदाओं में प्रावधान : श्रमिक भेजने वाले और श्रमिक प्राप्त करने वाले देशों का एक तुलनात्मक अध्ययन।
- कोलंबो प्रोसेस देशों में भर्ती प्रथाओं का दस्तावेजीकरण।
- भारत सरकार के उत्प्रवास नियमों में संशोधन।
- कोलंबो प्रोसेस देशों की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं की पहचान की जिन्हें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, 2015 के प्रारूप में समाविष्ट किया गया।
- प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए इनपुट के रूप में विदेशी रोजगार अवसरों संबंधी श्रम बाजार सूचना प्रदान की।
- भर्ती एजेंटो और विदेशी नियोक्ताओं का मूल्यांकन संबंधी संकल्पना नोट।

- भर्ती एजेंटो के लिए उत्तरदायित्व मैट्रिक्स बनाने संबंधी संकल्पना नोट।
- ई-माइग्रेट प्रणाली हेतु डेशबोर्ड आउटपुट की पहचान (प्रवासी कामगारों हेतु प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय का ऑन लाइन पोर्टल)
- एक व्यापक समस्या निवारण तंत्र विकसित करने हेतु एमओआईए को इनपुट प्रदान किए।

फैलोशिप कार्यक्रम

वर्ष 2015 में आईसीएम के दो वरिष्ठ सहचर थे जिनके नाम सुश्री मेधा चर्तुवेदी और डॉ. गिनु जचारिया उमेन था। सुश्री चर्तुवेदी को म्यामांर में भारतीय प्रवासी : उभरती प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां संबंधी अध्ययन का कार्य सौंपा गया था और डॉ. जचारिया को खाड़ी प्रवास, प्रेषण और धर्म : केरल के ईसाईयों में परिवर्तन की लहर संबंधी अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया था।

सम्मेलन/ बैठकें जिनमें आईसीएम ने भाग लिया

1. भारत प्रवास केन्द्र ने 23-24 मार्च, 2015 को मनीला, फिलीपिंस में आयोजित संकट पहल वाले देशों में प्रवासी (एमआईसीआईसी) संबंधी परामर्शी बैठक- दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व एशिया क्षेत्रीय वार्तालाप में भाग लिया।

   एमआईसीआईसी की परामर्शी बैठक में जिस भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया था आईसीएम उसका अंग था। संकट पहल वाले देशों में प्रवासी जो एक सरकार द्वारा चालित प्रयास था जिसके सह-अध्यक्ष अमेरिका और फिलीपिंस थे, का उद्देश्य उस समय प्रवासियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना था जब देश जिसमें वे रहते, कार्य करते, अध्ययन करते, पारगमन, या यात्रा करते हैं, वह कोई संघर्ष या प्राकृतिक आपदा का सामना करता है। वर्ष 2014 में शुरू की गई एक व्यापक और समेकित विचार-विमर्श प्रक्रिया के माध्यम से एमआईसीआईसी पहल ने संघर्ष या प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहे देशों में रहने वाले प्रवासियों की सुरक्षा के दिशानिर्देश तैयार किए।

2015-16

वर्ष 2015-16 के दौरान शासी परिषद के गठन, इसकी बैठकें और आईसीएम द्वारा चलाई गई गतिविधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष 2015-16 की शासी परिषद्

अध्यक्ष

सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए)

श्री अनिल कुमार अग्रवाल

सदस्य :

1. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग या उनके प्रतिनिधि
2. सचिव, विदेश मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
3. सचिव, सूक्ष्म, लघू एवं मध्यम उद्यमिता मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
4. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या उनके प्रतिनिधि
5. उत्प्रवासी भेजने वाले प्रमुख राज्यों में से प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम से राज्य सरकारों के तीन सचिव। वर्ष 2015-16 के दौरान आंध्र प्रदेश, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्य सचिव, या उनके प्रतिनिधि शासी परिषद में थे।
6. सरकार द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए चार विशेषज्ञों को नामित किया जाता था। वर्ष 2015-16 के दौरान श्री बी. आर. शेट्टी, श्री श्याम पाण्डे, श्री प्रदीप कुमार सरमाह और श्री खाण्डेराव खाण्ड शासी परिषद में थे।
7. कार्यकारी निदेशक जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान श्रीमती वाणी राव, संयुक्त सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थीं।

वर्ष 2015-16 के दौरान शासी परिषद् की बैठकें

वर्ष 2015-16 के दौरान, शासी परिषद् की पांचवी बैठक का आयोजन दिनांक 22.05.2015 को और छठी बैठक का आयोजन दिनांक 04.12.2015 को किया गया था।

शासी परिषद् की पांचवी बैठक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

शासी परिषद् ने पांचवी बैठक के दौरान निम्नलिखित की सिफारिश की :

- वैश्विक श्रम बाजार प्रवृत्तियों का सर्वेक्षण जिसमें प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए जाने वाले देश विशेष मुद्दों की पहचान करने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक हस्ताक्षर किए गए छः श्रम समझौता ज्ञापनों का अध्ययन भी शामिल हैं।
- प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) संबंधी व्यापक मैनुअल तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन के साथ सहयोग।
- आईओएम, आईएलओ और यूरोपीय आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारियों को बढ़ाना।
- उपरोक्त के अलावा, शासी परिषद् में भारत-ईयू ।। परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन करने की सिफारिश भी की:
    - जनसंख्या के बूढ़ा होने और उत्प्रवासी कामगारों की आवश्यकता के संदर्भ में भारत से ईयू के लिए उत्प्रवास।
    - ईयू को जाने वाले भारतीय उत्प्रवासियों के संबंध में भाषायी कौशल और चुनौतियां।
    - भारत से ईयू और दक्षिण अमरिका जाने वाले संभावित उत्प्रवासियों के लिए कौशलों और योग्यताओं का संरेखण करने की आवश्यकता।
    - भारत ईयू गलियारे में नर्सों का प्रवास संबंधी अध्ययन।

शासी परिषद् की छठी बैठक की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

शासी परिषद् ने अपनी छठी बैठक में अन्य मुद्दों के बीच में निम्नलिखित पर विचार किया :

- घरेलू कामगारों का प्रवास संबंधी यूएन विमिन के साथ सहयोग और उसके लिए कौशल विकास मॉड्यूल तैयार करना।
- आंध्र प्रदेश और तेलगांना से जीसीसी देशों में जाने वाले महिला सेवा कामगारों संबंधी प्रवास का अध्ययन।

वर्ष 2015-16 के दौरान आईसीएम द्वारा की गई गतिविधियां

मजदूर प्रवासियों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और भारत के लिए उनकी सुसंगतता से संबंधित अध्ययन

इस अवधि के दौरान, आईसीएम ने 'मजदूर प्रवासियों और भारत के लिए उनकी सुसंगता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का अध्ययन' किया। इस अध्ययन और विश्लेषण में सम्मेलनों जैसे रोजगार हेतु प्रवास (संशोधित) 1949 और इसके अनुबंधों संबंधी सम्मेलन संख्या 97, सम्मेलन संख्या 143 - प्रवासी कामगार (प्रतिपूर्ति प्रावधान) 1975 और सम्मेलन संख्या 181 निजी रोजगार एजेंसियां 1997 के विभिन्न खंडों को समझने का प्रयास किया गया है।

फिलीपिंस द्वारा प्रवास प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ रीतियों संबंधी अध्ययन

उत्प्रवासियों के लिए प्रमुख मूल देश के रूप में फिलीपिंस ने अपने उत्प्रवासियों के कल्याण और सुरक्षा हेतु कई उपायों की शुरूआत की हैं। आईसीएम ने प्रवासी कामगारों को कार्यान्वित करने वाले ओमनीबस नियम और विनियम तथा ओवरसीज फिलीपिनोस अधिनियम, 1995 रिपब्लिक अधिनियम संख्या 10022 द्वारा यथासंशोधित, का अध्ययन किया। आईसीएम और एमओआईए के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संकट पहल वाले देशों में प्रवासी (एमआईसीआईसी) संबंधी परामर्शी बैठक- दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व एशिया क्षेत्रीय वार्तालाप जिसका आयोजन मार्च, 2015 में मनीला, फिलीपिंस में किया गया था में भाग लिया और प्रवास प्रबंधन के फिलीपिनो मॉडल का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त किया। इस भागीदारी की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में

एमओआईए और आईसीएम दोनों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रवास प्रबंधन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ रीतियों के रूप में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय को बहुत सी सिफारिशें कीं जैसे श्रम बाजार सूचना, रोजगार पूर्व अभिमुखीकरण सेमीनार (पीईओएस) का प्रचार-प्रसार, अनिवार्य प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण सेमीनार (पीडीओएस), फिलीपिंस ओवरसीज लेबर कार्यालयों की भूमिका (पीओएलओ) वापसी और पुन: एकीकरण कार्यक्रम, संकट वाली परिस्थितियों में चार स्तरीय सतर्कता प्रणाली, लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखना, कामगारों को अयोग्य सिद्ध करना, अवैध भर्ती को रोकने के उपाय आदि।

विदेशों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु होने/ घायल होने के संबंध क्षतिपूर्ति दावों को पूरा करने हेतु प्रक्रियाओं का संकलन

आईसीएम ने विदेशों में भारतीय नागरिकों की मृत्यु होने/ घायल होने से संबंधित दावों की क्षतिपूर्ति के मुद्दे की जांच की और ऐसे दावों को दर्ज करने हेतु प्रक्रियाओं का संकलन किया। इस पहल ने इस विषय पर सूचना का प्रचार-प्रसार करने में एमओआईए की सहायता की। इसका सांराश 16 देशों को कवर करता है। भारत और रोजगार के देश दोनों में संपर्क का पहला बिंदू संबंधी सूचना प्रदान करने के अलावा यह सांराश मृत्यु क्षतिपूर्ति दावों को दर्ज करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को भी सूचीबद्ध करता है जो स्थानीय कानूनों के आधार पर अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। सांराश बची हुई शेष राशि को मृतक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से नामित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में हस्तांतरित करने और उसकी चीजों और पार्थिव शरीर को वापिस भेजने के तरीकों के बारे में भी सूचना प्रदान करता है।

उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक के प्रारूप संबंधी इन-हाउस अध्ययन

इस वर्ष के दौरान आईसीएम ने फिलीपिंस, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के उत्प्रवास अधिनियम और फिलीपिंस में प्रवास प्रबंधन की प्रक्रिया का परीक्षण किया और एमओआईए को विभिन्न पहलुओं पर इनपुट प्रदान किए जिन्हें मंत्रालय द्वारा बनाए जा रहे उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक के प्रारूप में शामिल किया जा सकता था।

भारतीय मिशनों से प्राप्त आईसीडब्ल्यूएफ के डाटा का अध्ययन

भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) के डाटा का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद, आईसीएम ने उन तरीकों की खोज की जिनसे विदेश में भारतीय कामगारों और व्यथित भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोष का बेहतर उपयोग किया जा सके।

ई-माइग्रेट के प्रयोगकर्ताओं के लिए एक डेशबोर्ड विकसित करना

वर्ष 2015-16 के दौरान आईसीएम ने ई-माइग्रेट जो मंत्रालय का एक ऑनलाइन पोर्टल है और ईसीआर देशों में रोजगार हेतु उत्प्रवास स्वीकृतियां प्रस्तुत करने और उन पर प्रक्रिया करने में सक्षम बनाता है, के लिए कुछ डेशबोर्ड तैयार किए। एमओआईए में ई माइग्रेट टीम के सहयोग से आईसीएम ने प्रयोगकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए डेशबोर्ड तैयार किए जो भारतीय प्रवासी कामगारों के रोजगार के क्षेत्र, गन्तव्य देशों में मांग वाले विशेष जॉब प्रोफाइलों आदि जैसे विषयों पर उपयोगकर्ताओं (मंत्रालय, भारतीय मिशनों, विदेशी नियोक्ता और भर्ती एजेंट) को रीयल टाइम डाटा प्रदान करता है।

वर्ष 2015-16 में सहयोग

प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण (पीडीओ) के संबंध में आईओएम के साथ सहयोग

आईसीएम ने ''प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण (पीडीओ) से संबंधित मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और पीडीओ से संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकारी अधिकारियों का अभिमुखीकरण शीर्षक परियोजना पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) के साथ वार्ताएं की।

- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल और प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण संबंधी स्त्रोत पुस्तक तैयार की।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के 120 मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और 6 राज्य सरकारों के 180 अधिकारियों का प्रशिक्षण।

- केन्द्रिय और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों हेतु प्रवास प्रबंधन संबंधी जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।

घरेलू सेवा कामगारों (डीएसडब्ल्यू) के संबंध में यूएन विमिन के साथ सहयोग

भारत की महिला घरेलू कामगारों से संबंधित मुद्दों पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए आईसीएम ने यूएन विमिन के साथ कार्य किया। प्रस्तावित सहयोग को आंध्रप्रदेश और तेलगांना राज्यों में कार्यान्वित किया जाएगा जो महिला घरेलू सेवा कामगारों को भेजने के लिए जाने जाते हैं और यह निम्नलिखित पर केन्द्रित था :

- डीएसडब्ल्यू के सुरक्षित और वैध प्रवास संबंधी दो विडियो और दो ऑडियो तैयार किए और उसका प्रचार-प्रसार किया।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम और लिंग और सुरक्षित प्रवास संबंधी दो रिफ्रेशर प्रशिक्षणों का आयोजन किया ताकि दोनों राज्यों में पीडीओटी का आयोजन करने के लिए प्रशिक्षकों का पूल तैयार किया जा सके।
- विदेश में सुरक्षित और वैध प्रवास संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर इच्छुक प्रवासी डीएसडब्ल्यू महिलाओं तक पहुंचने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के साथ सहयोग

वर्ष 2015-16 के दौरान, प्रस्तावित उत्प्रवास प्रबंधन विधेयक, मानक रोजगार संविदा, न्यूनतम रेफरल मजदूरी, प्रवासी कामगार स्त्रोत केन्द्र (ओडब्ल्यूआरसी) और प्रवासी स्त्रोत केन्द्र (एमआरसी) का संयुक्त रूप से परीक्षण करने के लिए आईएलओ के साथ वार्ताएं की।

भारत की घरेलू नौकरानी कामगारों संबंधी अध्ययन का कार्यान्वयन: 'भर्ती प्रथाओं एवं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उनके प्रवास के कारण संबंधी अध्ययन'

इस वर्ष के दौरान भारत की घरेलू नौकरानी कामगारों संबंधी विशेष अध्ययन करने का प्रस्ताव किया गया जिसमें आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के पांच जिले नामश: पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, कडापा (आंध्रप्रदेश में) और निजामाबाद एवं करीमनगर जिले (तेलंगाना में)

जिसमें हैदराबाद शहर भी शामिल है, में क्षेत्रीय दौरे किए जाएंगे और उनके प्रवास के सामाजिक आर्थिक कारणों की जांच की जाएगी। इस अध्ययन से, कौशल उन्नयन, प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण, देश विशेष मैनुअल, जागरूकता एवं मीडिया अभियान और जमीनी स्तर के दावाधारकों के साथ कार्य करना, के संबंध में अपेक्षित उपायों, कार्यक्रमों की पहचान की जाएगी।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से संभावित प्रवासियों के लिए कौशल विकास पहल

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के संभावित प्रवासियों हेतु कौशल विकास संबंधी प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 2011-12 में आईसीएम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) के साथ सहयोग किया था। हालांकि, संचालनात्मक और कार्यान्वयन कठिनाईयों के कारण वर्ष 2015 में इस परियोजना को समय से पहले ही बंद कर दिया गया।

भारत – ईयू प्रवास और साझेदारी में साक्ष्य आधारित प्रबंधन विकसित करना

आईसीएम ने भारत-ईयू परियोजना-।। का कार्यान्वयन करने के लिए यूरोपीय आयोग के साथ सहयोग किया। इसके अलावा आईसीएम ने इस सहयोग का कार्यान्वयन करने के लिए यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान के साथ साझेदारी की। कार्यान्वयन हेतु पहचाने गये प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं:

- 65 अनुसंधान दस्तावेज।
- दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- 9 क्षमता निर्माण कार्यशालाएं।
- सुरक्षित और वैध प्रवास संबंधी दो जागरूकता अभियान।
- प्रवास प्रबंधन और प्रवास एवं विकास संबंधी दो टीओटी मॉड्यूल।
- प्रशिक्षकों के दो प्रशिक्षण।
- प्रसार संबंधी सूचना हेतु वेब पोर्टल।

वरिष्ठ फैलोशिप कार्यक्रम

वर्ष 2015-16 में, दो वरिष्ठ सहचरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कीं जिसका उल्लेख नीचे किया गया है :

1. **म्यांमार में भारतीय प्रवासी - उभरती प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां :** यह अध्ययन आईसीएम में वरिष्ठ फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत सुश्री मेधा चतुर्वेदी द्वारा किया गया था। म्यामांर में देश की कुल जनसंख्या के लगभग 4 प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं। 1989 से उस देश में विश्वसनीय जनगणना न किए जाने के कारण यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। सिंघवी समिति ने वर्ष 2004 में यह अनुमान लगाया था कि म्यांमार में लगभग 2.9 मिलियन पीआईओ हैं जिनमें से 2,500,000 भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, 2000 भारतीय नागरिक और 400,000 राज्य विहीन व्यक्ति हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी व्यापक रूप से वर्णन किया गया है कि राष्ट्रवाद की लहर का अनुसरण करते हुए भारतीय समुदाय को बहुत ही गरीब और संवेदनशील बना दिया गया है।

   सुश्री मेधा चतुर्वेदी द्वारा किया गया यह अध्ययन मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्त्रोतों पर आधारित गुणात्मक अनुसंधान है और 1800 ईंसवी के बाद से उनके मूल देश का पता लगाते हुए म्यांमार में भारतीय समुदाय की वर्तमान स्थितियों का अनुमान लगाता है। एक क्षेत्रीय दौरे के दौरान भारतीय समुदाय की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों का दौरा किया गया और कुछ व्यक्तिगत साक्षात्कार किए गए जिन्हें प्राथमिक अनुसंधान में भी प्रयोग किया गया। म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास के कार्मिकों के साथ बातचीत भी की गई और वहां कुछ डाटा एकत्रित किया गया जिसका प्रयोग इस अध्ययन में किया गया है।

   यह अध्ययन म्यांमार में भारतीयों के प्रवास की मौजूदा समझ और वे परिस्थितियां जिनके कारण भारतीय मूल के व्यक्ति वहीं रह गए या भारत वापस लौट आए के बीच का अंतर भरने; इसी प्रकार के प्रवास में भविष्य की संभावित प्रवृत्तियों के बारे में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य दावाधारकों के बीच वाद-विवाद शुरू करने और म्यांमार में मौजूदा पीआईओ द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का निदान

करने; मौजूदा डायस्पोरा नीतियों के निहितार्थों और दीर्घकालीन संभावनाओं के विस्तार के माध्यम से प्रासंगिक वातावरण को परिवर्तित करने की संभावना के बारे में, नीति निर्माताओं को सूचित करने का प्रयास करता है।

2. **खाड़ी में प्रवास, सामाजिक प्रेषण और धर्म : केरल के ईसाईयों में परिवर्तन की लहर**

यह अध्ययन आईसीएम में वरिष्ठ फैलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. गिनु जचारिया उमेन द्वारा किया गया था। यह अध्ययन इस बात का विस्तृत रूप से परीक्षण करता है कि किस प्रकार केरल विभिन्न प्रकार के आर्थिक और सामाजिक बदलावों की श्रृंखला का साक्षी बना। जिसमें बड़े स्तर पर उत्प्रवास, विशेषत: खाड़ी देशों में, के साथ मनी ऑर्डर पर आश्रित अर्थव्यवस्था भी शामिल हैं। खाड़ी देशों में प्रवासियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति ने केरल में श्रेणी के ढांचे, सामाजिक अनुक्रम, पूजा करने की पद्धतियों, पारिवारिक ढांचे और इन सबसे उपर धर्म और धार्मिकता को बहुत प्रभावित किया है। यद्यपि, विद्वानों द्वारा पहले किए गए अध्ययनों में केरल में प्रवास और प्रेषणों के आर्थिक परिणामों का परीक्षण तो किया है लेकिन प्रवासी आदोलनों और प्रेषणों ने किस प्रकार केरल में धर्म और धार्मिक प्रथाओं को प्रभावित किया जिसके परिणामस्वरूप समाज में बदलाव हुआ, इस बात की खोज करने की अब तक कोशिश नहीं की गई थी। वरिष्ठ सहचर द्वारा किया गया अध्ययन यह दर्शाता है कि प्रेषणों के प्रवाह ने एक ओर किस प्रकार केरल में गिरजाघरों/ मस्जिदों/ मंदिरों और धार्मिक स्थापनाओं में बडे निवेशों, जिन्हें बड़े रूप में प्रवासियों और खाड़ी आधारित एसोसिएशनों द्वारा वित्त पोषित किया गया; और दूसरी ओर नई और दिखावटी धार्मिक प्रथाओं, सिद्धांतों और रीति-रिवाजों, के प्रसार में योगदान दिया।

इस अध्ययन ने इन व्यापक प्रश्नों की जांच की : गन्तव्य देश (खाड़ी देश) में रहने वाले ईसाई प्रवासियों का पुन: अभिमुखीकरण और घर पर रह गए (केरल में) ईसाईयों में आई नयी संपन्नता, उनके जीवन और प्रथाओं में क्या कोई बदलाव लाती है। यह दस्तावेज केरल के ईसाईयों के सामाजिक परिवर्तन से 'प्रेरित प्रेषणों' पर केन्द्रित है और इसके अलावा इस बात की खोज करता है कि क्या धार्मिकता और धार्मिक प्रथाओं में परिवर्तन गन्तव्य देशों में प्रवासियों द्वारा अनुभव किए गए धार्मिक विश्वासों से प्रभावित हैं। यह अध्ययन इस मुद्दे की जांच भी करता है कि क्या केरल के ईसाईयों का प्रवास केन्द्रित धार्मिक पुन: अभिमुखीकरण केरल समाज में धर्म के

प्रचार-प्रसार, सामुदायिक पहचान पर जोर देना, उग्र धार्मिक समूहों का प्रसार करना और पूजा के नये तरीकों के उद्भव को बढ़ावा दे रहा है।

सम्मेलन/ बैठकें जिनमें आईसीएम ने भाग लिया

कोलंबो प्रक्रिया (सीपी) की तीसरी वरिष्ठ अधिकारिक बैठक (एसओएम) का आयोजन 4-5 नवम्बर, 2015 को कोलंबो में किया गया

भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अंग के रूप में आईसीएम ने 4-5 नवम्बर, 2015 को कोलंबो में आयोजित कोलंबो प्रोसेस की तीसरी वरिष्ठ अधिकारिक बैठक में भाग लिया। यह बैठक प्राथमिक रूप से पांच मुख्य क्षेत्रों में हुई प्रगति पर बातचीत करने के लिए थी जो हैं (क) कौशल एवं योग्यता की पहचान, (ख) नैतिक भर्ती को पल्लवित करना, (ग) प्रभावी प्रस्थान-पूर्व अभिमुखीकरण एवं सशक्तिकरण, (घ) प्रेषणों के हस्तांतरण की लागत को कम करना और (ड.) श्रम बाजार प्रवृत्तियों और कोलंबो प्रोसेस प्रवास स्त्रोत केन्द्र (सीपीएमआरसी) का पता लगाने के लिए कोलंबो प्रोसेस में भाग लेने वाले देशों की क्षमताओं को बढ़ाना। दो दिवसीय बैठक में पांचो मुख्य क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए वास्तविक लक्ष्यों की पहचान की गई और निर्णयों और सिफारिशों को रेखांकित किया गया।

उपरोक्त बैठकों के अलावा, भारत प्रवास केन्द्र (आईसीएम) ने वर्ष 2015-16 के दौरान भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से संबंधित अन्य कई कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया।

फोटो में आईसीएम की गतिविधियां

भारत-ईयू प्रवास के संबंध में नीति निर्माण हेतु ज्ञान आधार विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय दावाधारक परामर्श कार्यशाला (22 नवबंर, 2011)

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और व्यापार से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला : भारत-ईयू प्रवास के लिए सम्बद्धताएं और निहितार्थ (सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट में 5 दिसम्बर, 2014)

सुरक्षित एवं वैध प्रवास सुगम बनाने और अनियमित प्रवास को रोकने से संबंधित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला, 6-7 सितम्बर, 2012, नई दिल्ली

महिलाओं एवं अतंर्राष्ट्रीय संबंधी कार्यशाला: अवसर एवं चुनौतियां (13 दिसम्बर, 2012)

छात्रों की आवाजाही एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाएं संबंधी कार्यशाला: भारत और यूरोपीय संघ के लिए अवसर (14 जून, 2013)

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद

(प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है)

9वां तल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, सत्य मार्ग, नई दिल्ली - 110021

31 मार्च, 2012 तक का तुलन-पत्र

क्रम सं.	विवरण	अनुबंध	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)
I.	**निधियों का स्त्रोत**				
क	**पूंजीगत निधि**				2,469,964.00
ख	**अनुदान**	1			39,889,262.69
				कुल	42,359,226.69
II	**कोष प्रयोग**				
क	**स्थायी परिसम्पत्तियां**	2			3,452,034.50
ख	**जमा राशि**	3			931,000.00
ग	**वर्तमान परिसम्पत्तियां**				
	(i) रोकड़ एवं बैंक में शेष राशि	4	35,359,542.19		
	(ii) ऋण एवं अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	5	2,793,753.00	38,153,295.19	
घ	**घटाएं: वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**				
	(i) देय शुल्क एवं कर	6	1,77,103.00		
	(ii) प्राप्त अग्रिम			177,103.00	37,976,192.19
				कुल	42,359,226.69

अनुसूची I: लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नितियां और नोट

समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार
डीएम एवं कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउंन्टेट
प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद
हस्ताक्षरित प्रति
(धीरज मेहता)
(पार्टनर)
दिनांक : 05-04-2012
स्थान : नई दिल्ली

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की ओर से

हस्ताक्षरित प्रति
(जी. गुरूचरण)
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद

(प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है)

9वां तल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, सत्य मार्ग, नई दिल्ली - 110021

31 मार्च, 2013 तक का तुलन-पत्र

क्रम सं.	विवरण	अनुबंध	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)
I.	**निधियों का स्त्रोत**				
क	**पूंजीगत निधि**				2,469,964.00
ख	**अनुदान**	1			8,31,92,882.95
				कुल	8,56,62,846.95
II	**कोष प्रयोग**				
क	**स्थायी परिसम्पत्तियां**	2			27,72,303.50
ख	**जमा राशि**	3			931,000.00
ग	**वर्तमान परिसम्पत्तियां**				
	(i) रोकड़ एवं बैंक में शेष राशि	4	7,91,70,781.45		
	(ii) ऋण एवं अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	5	27,95,169.00	8,19,65,950.45	
घ	**घटाएं: वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**				
	(i) देय शुल्क एवं कर	6	6,407.00		
	(ii) प्राप्त अग्रिम			6,407.00	8,19,59,543.45
				कुल	8,56,62,846.95

अनुसूची I: लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नितियां और नोट

समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार

डीएम एवं कम्पनी की ओर से

चार्टर्ड अकाउंन्टेट

प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद

हस्ताक्षरित प्रति

(धीरज मेहता)

(पार्टनर)

दिनांक : 25-04-2013

स्थान : नई दिल्ली

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की ओर से

हस्ताक्षरित प्रति

(मनोज कुमार तिचमपल्ली कृष्णा दास)

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद

(प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है)

9वां तल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, सत्य मार्ग, नई दिल्ली - 110021

31 मार्च, 2014 तक का तुलन-पत्र

क्रम सं.	विवरण	अनुबंध	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)
I.	**निधियों का स्त्रोत**				
क	**पूंजीगत निधि**				2,469,964.00
ख	**अनुदान**	1			107,518,712.89
				कुल	109,988,676.89
II	**कोष प्रयोग**				
क	**स्थायी परिसम्पत्तियां**	2			2,299,341.50
ख	**जमा राशि**	3			931,000.00
ग	**वर्तमान परिसम्पत्तियां**				
	(i) रोकड़ एवं बैंक में शेष राशि	4	104,125,055.22		
	(ii) ऋण एवं अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	5	2,795,169.00	106,920,224.22	
घ	**घटाएं: वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**				
	(i) देय शुल्क एवं कर	6	1,9502.00		
	(ii) प्राप्त अग्रिम		142,386.83	161,888.83	106,758,335.39
				कुल	109,988,676.89

अनुसूची I: लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नितियां और नोट

समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार

डीएम एवं कम्पनी की ओर से

चार्टर्ड अकाउंन्टेट

प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद

हस्ताक्षरित प्रति

(धीरज मेहता)

(पार्टनर)

दिनांक : 12-08-2014 स्थान : नई दिल्ली

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की ओर से

हस्ताक्षरित प्रति

(मनोज कुमार तिचमपल्ली कृष्णा दास)

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद

(प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है)

9वां तल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, सत्य मार्ग, नई दिल्ली - 110021

31 मार्च, 2015 तक का तुलन-पत्र

क्रम सं.	विवरण	अनुबंध	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)	राशि (रू. में)
I.	**निधियों का स्त्रोत**				
क	**पूंजीगत निधि**				24,69,964.00
ख	**अनुदान**	1			9,46,49,166.23
				कुल	9,71,19,130.23
II	**कोष प्रयोग**				
क	**स्थायी परिसम्पत्तियां**	2			19,56,137.50
ख	**जमा राशि**	3			9,31,000.00
ग	**वर्तमान परिसम्पत्तियां**				
	(i) रोकड़ एवं बैंक में शेष राशि	4	9,17,10,917.56		
	(ii) ऋण एवं अग्रिम और अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	5	27,95,169.00	9,45,06,086.56	
घ	**घटाएं: वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान**				
	(i) देय शुल्क एवं कर	6	58,673.00		
	(ii) विविध लेनदार	7	73,034.00		
	(iii) प्राप्त अग्रिम - नियोक्ता सम्मेलन		1,42,386.83	2,74,093.83	9,42,31,992.73
				कुल	9,71,19,130.23

अनुसूची I: लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नितियां और नोट

समदिनांकित अलग रिपोर्ट के अनुसार

डीएम एवं कम्पनी की ओर से

चार्टर्ड अकाउंन्टेट

(प्रवासी रोजगार भारतीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है)

हस्ताक्षरित प्रति

(धीरज मेहता)

(पार्टनर)

दिनांक : 04-05-2015

स्थान : नई दिल्ली

प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद की ओर से

हस्ताक्षरित प्रति

(वाणी सरजू राव)

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

भारत प्रवास केन्द्र

1011, 10वां तल, अकबर भवन

चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021

31 मार्च, 2016 तक का तुलन-पत्र

	विवरण	नोट सं.		31 मार्च, 2016 तक	
I.	**निधियों के स्त्रोत**				
1	**समग्र निधि**			2,469,964.00	2,469,964.00
2	**अनुदान**				
	सहायता अनुदान	1		101,800,831.69	101,800,831.69
3	**वर्तमान देयताएं**				
	(क) अन्य वर्तमान देयताएं	2		65,986.00	
	(ख) सुरक्षा जमा राशि			5,000.00	70,986.00
	कुल				**104,341,781.69**
II.	**कोष प्रयोग**				
1	**गैर मौजूदा परिसम्पत्ति**				
	(क) संलग्न सूची के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियां	3		1,777,915.30	
	(ख) ऋण एवं अग्रिम	4		2,771,984.00	
	(ग) जमा राशि	5		240,781.00	4,790,680.30
2	**वर्तमान परिसम्पत्तियां**				
	(क) रोकड़ और बैंक में शेष राशि	6		99,551,101.39	99,551,101.39
	कुल				**104,341,781.69**

लेखा परिक्षा की रिपोर्ट (समादिनांकित रिकॉर्डो के अनुसार)

एंटिमा एवं गोयल की ओर से

चार्टर्ड अकाउंन्टेट

हस्ताक्षरित प्रति

एन.के. जिंदल

(पार्टनर)

एफसीए, एम. नं. 91028

एफआरएन नं: 009062एन

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11-08-2016

भारत प्रवास केन्द्र की ओर से

हस्ताक्षरित प्रति

श्री मनीष गुप्ता

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

भारत प्रवास केन्द्र

विदेश मंत्रालय (एमईए) की एक पंजीकृत सोसायटी

प्रवासी भारतीय केन्द्र, डॉ. पी. रिजाल मार्ग, चाणक्यपुरी

नई दिल्ली – 110021

+91-11-24156415, icm@mea.gov.in

सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, विश्वास के साथ जाएं